



फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर
केस संख्या :- १९४/२०२३

शोनु शर्मा बनाम शेकर

दावा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/23	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी से जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/9/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) </p>	
	31/7/23	<p>पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञे प्रा. पत्र पर तलब की गई। वकील वादी व स्वयं वादी उप. हैं। वकील वादी ने प्रा. पत्र पेश किया कि पत्रकारण के मुख्य जोड अदात्मर की राबना ले शर्जीनाग हो जाणा हैं व वादी शोनु शर्मा दावे को अपे वारी चलाकर जोड अदात्मर की राबना ले विज्ञे करना चाहते हैं। उम: प्रा. पत्र लीकर होने पर दावा वादी विज्ञे (आरिज) किया जाणा हैं। पत्रावली वाद तलबील दायित्व दफ्तर ही।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) </p>	<p style="text-align: right;"> शोनु शर्मा 20/67 Monmaha 31/07/2023 </p>